न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, देवली, जिला – टोंक

(पीठासीन अधिकारी श्री दुर्गा प्रसाद मीना R.A.S. उपखण्ड अधिकारी देवली द्वारा अध्यासित)

मिशल संख्या 103/2022 निर्णय दिनांक :–28.06.2024

उनवानी दावा :

शिव पब्लिक शिक्षा समिति, सरोली मोड़, जरिये सचिव शिवजीलाल चौधरी पुत्र हीरालाल चौधारी जाति जाट निवासी तरोती तहसील दूनी जिला टोंक राज.।

–वादी–

बनाम

1. गोपाल पुत्र उददा जाति गुर्जर निवासी सरोली तहसील दूनी
2. रामलाल पुत्र उददा जाति गुर्जर निवाती सरोली तहसील दूनी
3. श्योनारायण पुत्र उददा जाति गुर्जर निवासी सरोली तह. दूनी
4. मोहिनी पुत्री उददा जाति गुर्जर निवासी सरोली तहसील दूनी
5. तहसीलदार जी दूनी

–प्रतिवादीगण–

उपस्थिति :–

श्री अशोक कुमार गुप्ता
अधिवक्ता वादी

श्री महावीर सिंह राठोड़
श्री जितेन्द्र कुमार शर्मा
अधिवक्ता प्रतिवादीगण
संख्या 1 ता 4

दावा बाबत दुरूस्ती इन्द्राज नक्शा ट्रेस एवं स्थायी निषेधाज्ञा

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। पत्रावली के तथ्य इस प्रकार है कि वादी की खातेदारी एवं कब्जे की आराजिया ख. नं. 1615/1248 रकबा 0.7900 है0 वाके ग्राम सरोली तहसील दूनी स्थित है और प्रार्थी मोके पर काबिज है। इसी प्रकार प्रतिवादीगण की खातेदारी की आराजियात ख. नं. 1248 रकबा 0.57 है0 वाके ग्राम सरोली तहसील दूनी स्थित है। वादी व प्रतिवादीगण के खेत की मेर आपस में मिली हुई है और राजस्व रिकोर्ड मे वादी के नाम 0.79 है0 व प्रतिवादीगण की खातेदारी में 0.57 है0. भूमि दर्ज है । वादी व प्रतिवादीगण की खातेदारी की आराजियात को राजस्व रिकोर्ड नक्शा ट्रेस मे गलत रूप से दर्शाया गया है। वादी की खातेदारी के खेत का रकबा नक्शा ट्रेस मे कम दिखाया गया है तथा प्रतिवादीगण की खातेदारी के खेत का नक्शा मे ज्यादा दर्शाया गया है ,जो बिल्कुल गलत है । वादी की खातेदारी का रकबा बड़ा है तथा प्रतिवादीगण को खातेदारी का रकबा छोटा है लेकिन राजस्व कर्मचारियो ने नक्शा ट्रेस मे वादी के खातेदारी का क्षेत्रफल कम दर्शा रखा है तथा प्रतिवादीगण को खातेदारी के खेत का क्षेत्रफल ज्यादा दिखा रखा है जो प्रथम दृष्टिया ही नक्शा ट्रेस को देखने से साबित हो रहा है इस कारण नक्शा ट्रेस को दुरूस्त किया जाना बहुत आवयश्क है । वादी व प्रतिवादीगंण के मध्य आऐ दिन जमीन की सीमाओ को लेकर लड़ाई–झगडा होता है इस कारण प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा ते पाबन्द किया जावे कि वह वादी के कब्जे काश्त में मजाहमत नही करे ओर ताफैसला वाद पाबन्द रहे । तहसीलदार दूनी को जमीन का लेण्ड होल्डर होने के कारण फार्मल पक्षकार बनाया गया है । बिनायदाया आज से 15 दिन पूर्व उस समय उत्पन्न हुआ जब वादी व प्रतिवादीगण के मध्य खेत की सीमाओ को लेकर वाद विवाद हुआ जो निरन्तर रूपते जारी है । विवादग्रस्त आराजियात व पक्षकारान माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार में स्थित होने के कारण प्रस्तुत वाद का श्रवणाधिकार प्राप्त है। दावा अन्तर्गत 88, 89, 92–ए– 188, राज. टि. एक्ट के तहत अन्दर मियाद पूर्ण कोर्ट फीस पर दो प्रतियो मे पेश है।

Scanned with OKEN Scanner

अतः वादी की अधियाचना है कि:–

अः– दावा बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण बाबत दुरूस्ती नक्शा ट्रेस डिक्री किया जाकर वादी की खातेदारी के ख. नं. 1615/1248 रकबा 0.79 है0 वाके ग्राम सरोली तहसील दूनी की नक्शा ट्रेस को दुरुस्त किया जाकर वहां रकबा 0.79 है0 का तरमीम किया जावे तथा प्रतिवादीगण की खातेदारी के खेत ख. नं. 1248 रब्बा 0.57 है0 भूमि को नक्शा ट्रेस में तरमीम कर रकबा छोटा किया जाये। अर्थात नक्शा ट्रेस मे वादी खातेदारी खेत का रकबा 0.79 है0 व प्रतिवादीगण की खातेदारी के खेत का नक्शा ट्रेस 0.57 है0 रकबा अंकित किया जावे और इसी अनुसार शीट में दुरूस्ती की जावे ।

बः– दावा बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण बाबत स्थायी निषेधाज्ञा डिक्री किया जाकर पाबन्द किया जाय कि वह स्वयं, जरिये ऐजेन्ट, नोकर, चाकर के वादीगण के कब्जेकाश्त मे मजाहमत नही करे । सः– खर्चा मुकदमा व सहायता प्रदान करावी जावे।

प्रतिवादीगण की तलबी जारी की गई।

प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 की ओर से अधिवक्ता श्री महावीर सिंह राठोड़ ने वकालतनामा व जवाब पेश किया जो इस प्रकार हैः– वाद पत्र का चरण नं. 1 गलत है, अस्वीकार है। इस चरण में वर्णित खसरा नम्बर 1615 /1248 वाके तनग्राम सरोली के राजस्व रिकार्ड में मौजूद नहीं है। उक्त खसरा नम्बर किन–किन साबिक खसरा नम्बर से बने है, इसका राजस्व रिकार्ड में कोई अंकन नही है। केवल मात्र रिकार्ड टेम्परिंग कर खसरा नम्बर 1615/1248 का नामान्तकरण में अंकन कर खसरा नम्बर 1615/1248 रकबा 0.79 है0 फर्जी तरीके से दर्ज किया है, जो गलत है, अवैधानिक है। वादी ने गलत तथ्यो एवं गलत राजस्व रिकार्ड के आधार पर प्रस्तुत माननीय न्यायालय में वाद पत्र पेश किया गया है जो खारिज किये जाने योग्य है। वाद पत्र का चरण नं. 2 स्वीकार है। वाद पत्र का चरण नं. 3 जिस प्रकार से लिखा गया है, गलत है, अस्वीकार है। टेम्परिंग किये हुए राजस्व रिकार्ड के आधार पर वाद पत्र पेश किया गया है, जो गैरकानूनी एवं विधिसम्मत नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य है। प्रतिवादीगण अपने पूर्वजो के समय से ही खसरा नम्बर 1248 में रकबा 0.90 है0 से अधिक भूमि पर कब्जे–काश्त होकर निर्बाध रूप से अपने उपयोग उपभोग में लेते आ रहे है। जिसके गलत एवं फर्जी दस्तावेजो के आधार पर वादी प्रतिवादीगण को बेदखल कर जबरन कब्जा करने पर आमादा है। जिसका कि वादी को कोई वैधानिक अधिकार प्राप्त नहीं है। वादी प्रस्तुत वाद की आड़ में प्रतिवादीगण की खातेदारी एवं कब्जे–काश्त की भूमि खसरा नम्बर 1248 पर जबरन अतिक्रमण करना चाहता है। वाद पत्र का चरण नं. 4 जिस प्रकार से लिखा है, गलत है, अस्वीकार है। वाद पत्र का चरण नं. 5 जिस प्रकार से लिखा है, गलत है, अस्वीकार है। वाद पत्र का चरण नं. 6 जिस प्रकार से लिखा है, गलत है, अस्वीकार है। वादी को प्रतिवादीगण के विरूद्ध प्रस्तुत वाद का कोई वाद कारण उत्पन्न नहीं होता है। वादी ने गलत एवं आधारहीन तथ्यो एवं टेम्परिंग राजस्व रिकार्ड के आधार पर प्रस्तुत वाद पेश किया है, जो चलने योग्य नही है, अपितु खारिज किये जाने योग्य है। वाद पत्र का चरण नं. 7 कानूनी है, जवाब की आवश्यकता नहीं है। वाद पत्र का चरण नं. 8 जिस प्रकार से लिखा गया है, गलत है, अस्वीकार है। वादी को प्रतिवादीगण नं. 1 ता 4 के विरूद्ध कोई वाद कारण उत्पन्न नहीं होता है। कोई साबिक रिकार्ड वाद पत्र में संलग्न नहीं किया है। जिस कारण वाद में वर्णित आराजीयात का दुरुस्तीकरण नहीं किया जा सकता। वाद पत्र का चरण नं. 9 कानूनी है, जवाब की आवश्यकता नहीं है। वाद पत्र का चरण नं. 10 अभियाचना बिन्दु अ, ब, स गलत है, अस्वीकार है। वादी ने माननीय न्यायालय में सही तथ्यो को वाद पत्र पेश किया है। जिसमें वादी ने खसरा नम्बर 1615/1248 रकबा 0.79है. भूमि अपनी खातेदारी में बताई है, जबकि मौके पर इस खसरा नम्बर 1615/1248 का वर्णित रकबा 0.79 है0 भूमि मौके पर मौजूद नहीं है, और ना ही वाद वर्णित खसरा नम्बर का साबिक खसरा नम्बर राजस्व रिकार्ड में खसरा नम्बर 1615/1248 से मिलान होता है, मौके पर वास्तविक खसरा नम्बर 1248/1421 जो आराजी है। खसरा नम्बर 1248 रकबा 0.90 है0

Scanned with OKEN Scanner

वाके तनग्राम सरोली में स्थित है जो प्रतिवादीगण की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि है जो साबिक खसरा नम्बर 314 व 312 मि. नम्बरान से बने है। जिसका विधिवत् राजस्व रिकार्ड में अंकन है। वादी ने कोई रिकार्ड खातेदारी के संबंध में माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया है। ऐसी स्थिति में वाद पत्र निराधार एवं आधारहीन कथनो पर आधारित होने से हेवी कोस्ट पर खारिज किये जाने योग्य है।

तनकियात बिन्दू कायम कर सुनाये गये।

पत्रावली साक्ष्यवादी में नियत की गई।

अधिवक्ता वादी ने साक्ष्य शपथ पत्र पी. डब्ल्यू–1 शिवजीलाल चौधरी पुत्र हीरालाल चौधरी जाति जाट जरिये शिव पब्लिक शिक्षा समिति सरोली मोड़ तहसील दूनी जिला टोंक व पी. डब्ल्यू–2 पवन माहेश्वरी पुत्र राधा मोहन गुप्ता जाति महाजन निवासी राजमहल तहसील देवली जिला टोंक के पेश किये।

साक्ष्य पी. डब्ल्यू–1 ने प्रदर्श करवाये जो इस प्रकार है:–प्रदर्श–1 व 2 भू–प्रबन्ध विभाग का मिलान क्षैत्रफल, प्रदर्श–3 नक्शा ट्रेस, प्रदर्श–4 मूल नक्शा साबिक शीट नक्शा ट्रेस नकल सम्वत 1996–97, प्रदर्श–5 जमाबंदी सम्वत 2046–49, प्रदर्श–6 जमाबंदी सम्वत 2050–53, प्रदर्श–7 जमाबंदी सम्वत 2054–57, प्रदर्श–5 जमाबंदी सम्वत 2058–61, प्रदर्श–9 जमाबंदी सम्वत 2062–65, प्रदर्श–10 जमाबंदी सम्वत 2066–69, प्रदर्श–11 जमाबंदी सम्वत 2070, प्रदर्श–12 जमाबंदी सम्वत 2070, प्रदर्श–13 नामांतकरण पंजिका सरोली, प्रदर्श–14 जमाबंदी भू–प्रबन्ध विभाग 2046–65, प्रदर्श–15 भू–प्रबन्धक विभाग का खसरा पत्रक सम्वत 2041–42, प्रदर्श–16 व 17 जमाबंदी सम्वत 2074–77 पेश किये।

पत्रावली साक्ष्यवादी जिरह में नियत की गई।

अधिवक्ता प्रतिवादी द्वारा साक्ष्य पी. डब्ल्यू–1 व पी. डब्ल्यू–2 से जिरह की जो कलमबद्ध होकर शामिल पत्रावली है।

अधिवक्ता वादी द्वारा और साक्ष्य नहीं करवाना जाहिर करने से पत्रावली साक्ष्यवादी बंद की गई।

पत्रावली साक्ष्य प्रतिवादी में नियत की गई।

अधिवक्ता प्रतिवादी ने साक्ष्य शपथ पत्र डी. डब्ल्यू–1 गोपाल पुत्र उदाराम जाति गुर्जर निवासी सरोली तहसील दूनी, डी. डब्ल्यू–2 छोटूलाल पुत्र देवालाल जाति गुर्जर निवासी सरोली तहसील दूनी व डी. डब्ल्यू–3 घासीलाल पुत्र रामसुख जाति जाट के पेश किये।

पत्रावली प्रतिवादी जिरह में नियत की गई।

अधिवक्ता वादी द्वारा साक्ष्य डी. डब्ल्यू–1 से 3 से जिरह की जो कलमबद्ध होकर शामिल पत्रावली है।

पत्रावली बहस में नियत की गई।

अधिवक्ता वादी ने अपनी बहस में वाद मिमो को दोहरान करते हुए कथन किया कि पहले यह जमीन पवन की खातेदारी में 0.83 है0 थी जिसमें से 0.4 है0 सड़क में चली गई। शेष 0.79 है0 को बद्रीलाल ने खरीद ली ओर बद्रीलाल से वादी ने क्रय कर ली। प्रतिवादी के खाते ख. नं. 1248 में 57 एअर जमीन चली आ रही है। वादी की खातेदारी की आराजी ख. नं. 1615/1248 रकबा 0.79 है0 व पड़ोसी खातेदारान की आराजी ख. नं. 1248 रकबा 0.57 है0 है। राजस्व रिकॉर्ड में नक्शा ट्रेस का अवलोकन करने वादी की आराजी भूमि प्रतिवादीगण की भूमि से ज्यादा होते हुए राजस्व नक्शा ट्रेस में कम दर्शाया गया है और प्रतिवादीगण का रकबा कम होते हुए नक्शा ट्रेस में ज्यादा दर्शाया है, जो राजस्व कर्मचारियो द्वारा की सहवन से की गई त्रुटि प्रतीत होती है जिसको मौके पर रकबा व कब्जेनुसार नापकर रकबा बरारी कर उक्त दोनो आराजीयो के नक्शा ट्रेस को शुद्ध कर मौके पर संभलाई जावे। इस हेतु माननीय न्यायालय में वाद पेश किया है।

अधिवक्ता प्रतिवादीगण ने अपनी बहस में जवाब के तथ्यो को पेश करते हुए कथन किया कि राजस्व रिकॉर्ड में ख. नं. 1615/1248 नाम को कोई खसरा नम्बर नहीं है। राजस्व रिकॉर्ड में टेम्परिंग कर ख. नं. 1615/1248 रकबा 0.79 है0 को गलत/फर्जी तरीके से अंकन किया है, जिसके आधार पर वादी, प्रतिवादीगण को बेदखल करना चाहता है, उनकी जमीन को कम कर , कानून के माध्यम से उनकी जमीन को/जमीन के हिस्से को हड़पना चाहता है। वादी द्वारा अपने वाद में यह नहीं बताया कि ख. नं. 1248 पूर्व में 90 एअर का था जिसमें से कोन कोन से खसरा नम्बर बने है तथा कितना रकबा प्रतिवादी की ओर है और कितने कितने रकबे पर वादी व प्रतिवादीगण कब्जेकाश्त है। वादी शिवजीराम ने जिरह में स्वीकार किया कि पुराने नम्बर 1248/1421 उक्त विवादित आराजी के है। 1248/1421 में से से 3 एअर जमीन रोड़ में चली गई। साबिक ख. नं. 312 व 314 मिन रकबा 5 बीघा 6 बिस्वा से ख. नं. 1248 रकबा 0.90 है0 बने है व साबिक ख. नं. 309 रकबा 5 बीघा 10 बिस्वा से ख. नं. 1248/1421 रकबा 0.83 है0 बने है जिसमें से जिसमें से 0.79 के ख. नं. 1215/1248 बन गये व 0.03 है0 रोड़ में चली गई। उक्त आराजी के मूल ख. नं. क्या था, जिससे कितने कितने खसरा नम्बर बने है। उक्त के संबंध में तहसीलदार दूनी से स्पष्ट रिपोर्ट मंगवाने से न्यायालय को वास्तविक स्थित का ज्ञान हो जाऐगा।

अधिवक्ता वादी ने रिब्टल में कथन किया कि प्रतिवादीगण वाद को लम्बित करने के उद्देश्य से उक्त प्रश्न कर रहे है जबकि मामला वर्तमान में दोनो खसरा नम्बरो की तरमीम का है जो मौके पर नापकर शुद्ध किया जाना है, फिर भी न्यायालय को लगे तो तहसीलदार दूनी से उक्त बिन्दूओं के सम्बन्ध में रिपोर्ट मंगवाले तो वादी को कोई आपति नहीं है।

उक्त की स्पष्टता के लिए तहसीलदार दूनी को निम्न बिन्दूओं पर रिपोर्ट पर कमांक 450 दिनांक 23.07.23 से पत्र लिखा गया।

1. ख. नं. 1248 जो पूर्व में 90 एअर का था जिसमें से 0.33 एअर का नया ख. नं. क्या बना ?
2. ख. नं. 1248 व ख. नं. 1615/1248 की रकबा बरारी करने पर दोनो ख. नं. का रकबा कितना आता है?
3. ख. नं. 1248 व ख. नं. 1615/1248 के कब्जेकाश्त का नजरी नक्शे अनुसार वर्तमान स्थिति क्या है?
4. वर्तमान में ख. नं. 1248 के खातेदार कितने रकबे पर काबिज है और इसी प्रकार ख. नं. 1615/1248 का खातेदार कितने रकबे पर काबिज है?
5. उंक्त बिन्दूओ के अलावा उक्त विवादित आराजी के मूल ख. नं. से हाल तक बने खसरा नम्बरान कौन कौन से बने है? उनका वर्तमान में खातेदार कौन है?

तहसीलदार दूनी द्वारा नक्शा शीट व मौके पर विचलन की रिपोर्ट/जवाब कमांक भू.अ./2024/2090 दिनांक 28.05.24 पेश किया गया जो निम्न प्रकार है:-

1. ख. नं. 1248 पूर्व में 0.90 है0 था जिसमें से 0.33 है0 राष्ट्रीय राजमार्ग एन. एच. 12 में अवाप्त हो चुका है जिसका नया ख. नं. 1475/1248 है व ख. नं. 1766/1248 रकबा 0.13 है0 भी राष्ट्रीय राजमार्ग एन. एच. 12 में अवाप्त हो चुका है व ख. नं. 1248/1421 रकबा 0.03 है0 .भी राष्ट्रीय राजमार्ग एन. एच. 12 में अवाप्त हो चुका है। ख. नं. 1248/1447 रकबा 0.47 है0 सिवायचक दर्ज है।
2. ख. नं. 1248 व 1615/1248 की रकबा बरारी करने पर दोनो खसरा कर रकबा भिन्न है । ख. नं. 1248 का सीट में ज्यादा आ रहा है व ख. नं. 1615/1248 का रकबा कम आ रहा है। रकबा बरारी करने पर ख. नं. 1248 का क्षेत्रफल 0.79 है के लगभग आ रहा है व ख. नं. 1615/1248 का रकबा 0.57 है0 आ रहा है।

Scanned with OKEN Scanner

3. ख. नं. 1248 व 1615/1248 का कब्जेकाश्त मौके पर जमाबंदी रिकॉर्ड के अनुसार है वर्तमान में भूमि खाली पड़ी हुई है ।
4. वर्तमान में ख. नं. 1248 के खातेदार 0.57 है0 पर काबिज है। ख. नं. 1615/1248 के खातेदार 0.79 है0 के लगभग पर काबिज है।
5. उक्त खसरा नम्बरो से हाल तक कुल 6 खसरा नम्बर बने है, जिसकी जमाबंदी संलग्न है।

पत्रावली पुनः बकिया बहस पेश हुई।

अधिवक्ता वादी ने रिपोर्ट पर कोई आपति नहीं की। रिपोर्ट को सही बताया।

अधिवक्ता प्रतिवादी ने अपनी बहस में कथन किया कि उक्त रिपोर्ट मौके पर जाकर पक्षकारान की उपस्थिति में तैयार नहीं की गई है। तहसीलदार ने अपने कार्यालय में ही अपने कार्मिको से रिपोर्ट तैयार करवायी है, जिससे मौके पर वादीगण व प्रतिवादीगण की वास्तविक स्थिति की जानकारी नही हो पा रही है। उक्त रिपोर्ट से यह स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि मौके पर कौनसा खसरा वर्तमान में कितने रकबे का है व किस खातेदार का कब्जाकाश्त है। अतः इस रिपोर्ट के आधार पर निर्णय करना उचित नहीं है। अतः मौके पर पक्षाकारान की उपस्थिति में उक्त बिन्दूओ अनुसार रिपोर्ट प्राप्त होने पर ही सही निर्णय हो पायेगा।

उक्त आपति को अधिवक्ता वादी ने गलत बताया और कथन किया कि रिपोर्ट सही है।

प्रतिवादी अधिवक्ता की उक्त आपति को आंशिक रूप से स्वीकार किया गया।

उक्त बिन्दूओ की स्पष्टता के लिए तहसीलदार दूनी को दिनांक 14.06.24 को उक्त बिन्दूओ के कम में रिपोर्ट तैयार करने हेतु कमांक 608 दिनांक 11.06.24 से पत्र लिखा गया और अधिवक्ता उभयपक्ष को अपने पक्षकारान को दिनांक 14.06.24 को मौके पर उपस्थित होने हेतु निर्देश दिये गये।

तहसीलदार दूनी से कमांक 2811 दिनांक 24.06.2024 से रिपोर्ट प्रेषित की गई जो इस प्रकार हैः–

मौके पर विवादित खसरा नंबर 1615 /1248 रकबा 0.79 है0 भूमि के मूल खसरा नंबर 1248 से हाल तक कुल 6 खसरा नंबर बने हैं जिसमें से कमश 1248 रकबा 0.57 है0 खातेदार गोपाल मोहनी रामलाल श्योनारायण पुत्र उदा जाति गुर्जर के नाम दर्ज रिकार्ड है। ख. नं. 1615/1248 रकबा 0.79 है0 शिव पब्लिक स्कूल शिक्षा समिति शिवजी लाल चौधरी खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है। ख. नं. 1475/1248 रकबा 0.33 है0। राष्ट्रीय राजमार्ग भारत सरकार नई दिल्ली के नाम दर्ज रिकार्ड है। ख. नं. 1766/1248 रकबा 0.13 है0 राष्ट्रीय राजमार्ग भारत सरकार नई दिल्ली के नाम दर्ज रिकार्ड है । ख. नं. 1248/1421 रकबा 0.03 है0 राष्ट्रीय राजमार्ग भारत सरकार नई दिल्ली के नाम दर्ज रिकार्ड है व खसरा नम्बर 1248/1447 रकबा 0.47 है0 सिवायचक दर्ज रिकॉर्ड है। वर्तमान नक्शा अनुसार ख. नं. 1615/1248 व 1248 की रकबा बरारी में ख. नं. 1615/1248 रकबा 0.57 है0 व ख. नं. 1248 रकबा 0.79 है0 आ रहा है। जो कि उल्टा हो रखा है। वर्तमान नक्शा शीट में ख. नं. 1615/1248 को छोटा व ख. नं. 1248 को बड़ा किया है। जबकि ख. नं. 1615/1248 रकबा 0.79 है0 बड़ा व ख. नं. 1248 रकबा 0.57 है0 छोटा होना चाहिए। वर्तमान नक्शा शीट में छोटे रकबे को बड़ा व बड़े रकबे को छोटा कर रखा है। वर्तमान में मौके पर 1615/1248 रकबा 0.79 है0 पर शिव पब्लिक शिक्षा समिति जरिएं शिवजीलाल चौधरी ने पत्थर गाढने के लिए सीमा पर डाल रखे है तथा ख. नं. 1248

Scanned with OKEN Scanner

रकबा 0.57 है0 पर गोपाल मोहनी रामलाल श्विनारायण पुत्र उदा जाति गुर्जर निवासी सरोली का कब्जाकाश्त है। हाल शीट अनुसार ख. नं. 1615/1248 की दुरूस्ती ख. नं. 1248 से होनी है जो नजरी नक्शे में लाल स्याही से दर्शाया गया है। वर्तमान नक्शा शीट अनुसार 1648/1248 को छोटा व 1248 को बडा दिखाया गया है जबकि 1248 छोटा व 1648/1248 बड़ा है।

पत्रावली पुनः बकिया बहस पेश हुई।

अधिवक्ता उभयपक्ष ने तहसीलदार रिपोर्ट दिनांक 24.06.24 का अवलोकन किया और सन्तुष्टि जाहिर की। अधिवक्ता प्रतिवादी ने रिपोर्ट अनुसार निर्णय करने में कोई आपति नहीं की।

तनकीवार निर्णय

1. **आया वादी विवादित आराजी ख. नं. 1615/1248 रकबा 0.79 है0 वाके ग्राम सरोली तहसील दूनी की नक्शा ट्रेस जमाबन्दी में दर्शाये रकबे के अनुरूप बड़ा रकबा करवाकर तरमीम करवाने व इसी प्रकार प्रतिवादीगण की आराजी भूमि ख. नं. 1248 रकबा 0.57 है0 को जमाबन्दी में दर्शाये रकबे के अनुरूप छोटा रकबा करवाकर तरमीम करवाने अर्थात वादी की आराजी ख. नं. 1615/1248 रकबा 0.79 है0 के अनुरूप व प्रतिवादीगण की आराजी 1248 रकबा 0.57 है0 के अनुरूप राजस्व रिकॉर्ड में तरमीम करवाकर शीट दुरूस्त करवाने का अधिकारी है?** —वादी—

तनकी नं. 1 को साबित करने का भार वादी पर था। वादी ने वाद को साबित करने के लिए प्रदर्श—1 व 2 भू—प्रबन्ध विभाग का मिलान क्षैत्रफल पेश किया है जिसके अनुसार साबिक ख. नं. 314 व 312 मिन रकबा 5 बीघा 6 बिस्वा हाल ख. नं. 1248 रकबा 0.90 है0 बना है और साबिक ख. नं. 309 रकबा 5 बीघा 10 बिस्वा से हाल ख. नं. 1248/1421 रकबा 0.83 है0 बना है। प्रदर्श—3 ख. नं. 1248 व 1615/1248 को नक्शा शीट में दर्शित है। प्रदर्श—4 साबिक ख. नं. 309 व 312/1, 312/2 व 314 साबिक नक्शा शीट में दर्शित है। प्रदर्श—5 जमाबन्दी सम्वत 2046—53 में उदा पुत्र धूला की खातेदारी में ख. नं. 1248 रकबा 0.90 है0 दर्शित है व प्रदर्श—14 भू—प्रबन्ध विभाग की जमाबन्दी सम्वत 2046—65 उदा पुत्र धूला की खातेदारी में ख. नं. 1248 रकबा 0.90 है0 दर्शित है। प्रदर्श—6, 7, 8, 9 क्रमशः जमाबन्दी सम्वत 2046—49, 2050—63, 2054—57, 2058—61, 2062—65 में उदा पुत्र धूला की खातेदारी में ख. नं. 1248 रकबा 0.57 है0 दर्ज रिकॉर्ड है।

प्रदर्श—10 खातेदार पवनकुमार पुत्र विनोद कुमार शर्मा सा. नैनवा के नाम ख. नं. 1248/1421 रकबा 0.82 है0 दर्ज है ओर इसी जमाबन्दी में यह नोट लगा हुआ है कि ना. सं. 564/17.03.11 द्वारा पवनकुमार ने अपनी भूमि ख. नं. 1615/1248/1421 रकबा 0.79 है0 का विक्रय करने से खाता बद्रीलाल सैनी पुत्र चेताराम सैनी जाति माली नि. पचाला तह. उनियारा जिला टोंक के नाम दर्ज करने की स्वीकृति हुई है। प्रदर्श—11 जमाबन्दी सम्वत 2070—73 खातेदार बद्रीलाल सैनी ख. नं. 1615/1248 रकबा 0.79 है0 दर्ज है और प्रदर्श—12 सम्वत 2070—73 में ख. नं. 1248/1421 रकबा 0.03 है0 गै. मु. सड़क दर्ज है। प्रदर्श—13 ना. सं. 564/17.03.11 द्वारा पवनकुमार ने अपनी भूमि ख. नं. 1248/1421 रकबा 0.82 है0 का विक्रय बद्रीलाल सैनी पुत्र चेताराम सैनी को किया जिसके नये ख. नं. 1615/1248/1421 रकबा 0.79 है0 है।

भू—प्रबन्ध विभाग के खसरा पत्रक में ख. नं. 1248 रकबा 0.90 है0 में रघवीर सिंह के चारों ओर पेन से गोला हो रखा है ओर इसके नीचे उदा पुत्र धूला का नाम लिखा हुआ है। पत्रावली पर संलग्न छायाप्रति भू—प्रबन्ध विभाग सम्वत 2046—65 में

Scanned with OKEN Scanner

ख. नं. 1248/1421 रकबा 0.83 है0 रघवीर सिंह पु. परम सिंह राजपूत सा. देह खातेदार के नाम दर्ज रिकॉर्ड है।

प्रदर्श– 16 व 17 जमाबन्दी सम्वत 2074–77 में ख. नं. 1248 रकबा 0.57 है0 प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 के नाम दर्ज रिकॉर्ड है व ख. नं. 1615/1248 रकबा 0.79 है0 शिव पब्लिक स्कूल के नाम दर्ज रिकॉर्ड है।

उक्तानुसार विवेचन करने पर अनुसार साबिक ख. नं. 314 व 312 मिन रकबा 5 बीघा 6 बिस्वा हाल ख. नं. 1248 रकबा 0.90 है0 बना है, जो प्रतिवादीगण और साबिक ख. नं. 309 रकबा 5 बीघा 10 बिस्वा से हाल ख. नं. 1248/1421 रकबा 0.83 है0 बना है जो हाल में वादीगण के नाम दर्ज है। प्रदर्श–10 में ख. नं. 1248/1421 रकबा 0.82 है0 खातेदार पवन कुमार पुत्र विनोदकुमार के नाम था जिसका विनोद कुमार द्वारा विकय करने पर दो ख. नं 1615/1248/1421 रकबा 0.79 है0 व ख. नं. 1248/1421 रकबा 0.03 है0 बने, जिसमें से ख. नं. 1248/1421 रकबा 0.03 को एन. एच. में अवाप्त हो गई और ख. नं 1615/1248/1421 रकबा 0.79 है0 को बद्रीलाल सैनी को बेचान कर दिया। ख. नं 1615/1248/1421 रकबा 0.79 है0 के नये ख. नं. 1615/1248 को वादी ने कय कर लिया।

उक्त विश्लेषण से यह स्पष्ट है कि वादी की भूमि ख. नं. 1615/1248 रकबा 0.79 है0 का आराजी का ख. नं. 1248 रकबा 0.57 है0 से कोई सम्बन्ध नहीं रहा है। दोनो ख. नं. 1615/1248 रकबा 0.79 है0 व ख. नं. 1248 रकबा 0.57 है0 बिल्कुल अड़वा है जिनकी राजस्व रिकॉर्ड में तरमीम गलत हुई है, जिसको वादी वाद के माध्यम से दुरूस्त करवाना चाहता है।

अधिवक्ता उभयपक्ष की प्रार्थना पर उक्त के सम्बन्ध में रिपोर्ट ली गई जिसमें तहसीलदार ने अपनी रिपोर्ट पेश की जो इस प्रकार है:– वर्तमान नक्शा अनुसार ख. नं. 1615/1248 व 1248 की रकबा बरारी में ख. नं. 1615/1248 रकबा 0.57 है0 व ख. नं. 1248 रकबा 0.79 है0 आ रहा है। जो कि उल्टा हो रखा है। वर्तमान नक्शा शीट में ख. नं. 1615/1248 को छोटा व ख. नं. 1248 को बड़ा किया है। जबकि ख. नं. 1615/1248 रकबा 0.79 है0 बड़ा व ख. नं. 1248 रकबा 0.57 है0 छोटा होना चाहिए। वर्तमान नक्शा शीट में छोटे रकबे को बड़ा व बड़े रकबे को छोटा कर रखा है। वर्तमान में मौके पर 1615/1248 रकबा 0.79 है0 पर शिव पब्लिक शिक्षा समिति जरिएं शिवजीलाल चौधरी ने पत्थर गाढने के लिए सीमा पर डाल रखे है तथा ख. नं. 1248 रकबा 0.57 है0 पर गोपाल मोहनी रामलाल श्विनारायण पुत्र उदा जाति गुर्जर निवासी सरोली का कब्जाकाश्त है। हाल शीट अनुसार ख. नं. 1615/1248 की दुरूस्ती ख. नं. 1248 से होनी है जो नजरी नक्शे में लाल स्याही से दर्शाया गया है। वर्तमान नक्शा शीट अनुसार 1615/1248 को छोटा व 1248 को बडा दिखाया गया है जबकि 1248 छोटा व 1615/1248 बड़ा है।

अर्थात वादी के ख. नं. 1615/1248 रकबा 0.79 है0 व प्रतिवादीगण के ख. नं. 1248 रकबा 0.57 है0 अड़वा है और राजस्व कर्मचारियों ने सहवन से ख. नं. 1615/1248 रकबा 0.79 है0 की बड़ी तरमीम को ख. नं. 1248 में कर दी और ख. नं. 1248 रकबा 0.57 है0 की छोटी तरमीम को ख. नं. 1615/1248 रकबा 0.79 है0 में कर दी। जिसको वादी ने अपने दस्तावेज से साबित किया है और तहसीलदार द्वारा प्रेषित रिपोर्ट से भी साबित हैं। अतः तनकी नं. 1 का निर्णय बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी किया जाता है।

2. **आया वादी विवादित आराजी ख. नं. 1615/1248 रकबा 0.79 है0 वाके ग्राम सरोली तहसील दूनी की भूमि में स्वयं, जरिये एजेन्ट नोकर–चाकर वादी के कब्जेकाश्त व**

उपयोग उपभोग में बाधा उत्पन्न नहीं करने बाबत प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 को जरिए स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाने के अधिकारी है? **–वादी–**

तनकी नं. 2 को साबित करने का भार वादी पर था। तनकी नं. 1 के निर्णय अनुसार वादी उक्त विवादित आराजी का खातेदार है और तहसीलदार दूनी की रिपोर्ट अनुसार वादी अपने रकबा 0.79 है0 पर काबिज है। अतः वादी राजस्व रिकॉर्ड में खातेदार की हैसियत रखने के कारण प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाने का अधिकारी है। उक्त तनकी भी वादीपक्ष निर्णित की जाती है।

3. **आया प्रतिवादी विवादित आराजी ख. नं. 1615/1248 रकबा 0.79 है0 वाके ग्राम सरोली तहसील दूनी मोके पर मोजूद नहीं है और न ही इस भूमि का साबिक रिकॉर्ड से मिलान होता है?** **–प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4–**

तनकी नं. 3 को साबित करने का भार प्रतिवादी पर था। तनकी नं. 1 के निर्णय में ख. नं. 1615/1248 के बारे में विस्तृत निर्णय लिखा जा चुका है। उक्त तनकी को साबित करने बाबत प्रतिवादीगण ने ऐसा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया है जिससे उक्त तनकी को साबित कर सके । जबकि पत्रावली पर प्रदर्श–1 से 4 व 17 व तहसीलदार रिपोर्ट से साबिक व हाल रिकॉर्ड पत्रावली पर उपलब्ध है व साबिक व हाल रिकॉर्ड का मिलान हो रहा है। अतः इस तनकी का निर्णय बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण किया जाता है।

4. **आया प्रतिवादी ख. नं. 1248 रकबा 0.90 है0 वाके तनग्राम सरोली प्रतिवादीगण की खातेदारी व कब्जेकाश्त की भूमि है, जो साबिक ख. नं. 314 व 312 मिन से बनी है ?** **–प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4–**

तनकी नं. 4 को साबित करने का भार प्रतिवादी पर था। यद्यपि प्रतिवादी ने इस तनकी को साबित करने के लिए अपनी ओर से कोई दस्तावेज पेश नहीं किये है परन्तु पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो प्रदर्श–1 व 2 मिलान क्षैत्रफल से साबिक ख. नं. 314 व 312 मिन से ख. नं. 1248 रकबा 0.90 है0 बना है। प्रदर्श–3 जमाबन्दी सम्वत 2046–49 में नामान्तकरण संख्या 29 से ख. नं. 1248 में से रकबा 0.33 है0 ल0 0.17 मिनीस्ट्री ऑफ सरफेंन्स ट्रान्सफोर्ट भारत सरका नई दिल्ली के नाम स्वीकार हुआ है, का नोर्ट लगा हुआ है। अर्थात ख. नं. 1248 रकबा 0.90 है0 में से 0.33 है0 कम करने पर 0.57 है0 भूमि प्रतिवादीगण के नाम रही जो सम्वत 2050 से 2053 की जमाबन्दीयो के बाद लगातार हाल तक चल रही है तथा तहसीलदार रिपोर्ट दिनांक 24.06.24 अनुसार भी ख. नं. 1248 रकबा 0.57 है पर प्रतिवादीगण का कब्जाकाश्त है। अतः प्रतिवादीगण द्वारा राजस्व रिकॉर्ड साक्ष्यो से साबित नहीं करने व तहसीलदार रिपोर्ट अनुसार प्रतिवादीगण का ख. नं. 1248 रकबा 0.57 है0 पर ही कब्जा साबित होने के कारण इस तनकी का निर्णय भी विरूद्ध प्रतिवादीगण किया जाता है।

5. **वाद पत्र निराधार एवं आधारहीन कथनो पर आधारित होन से हेवी कोस्ट पर खारिज किये जाने योग्य है?** **–प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4–**

तनकी नं. 5 को साबित करने का भार प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 पर था। प्रतिवादीगण ने ऐसा कोई दस्तावेज पेश नहीं किये है जिससे यह तनकी साबित कर सके। अतः इस तनकी का निर्णय भी वादीपक्ष विरूद्ध किया जाता है।

तनकीवार विवेचन अनुसार वाद वादी स्वीकार योग्य होने से वाद स्वीकार किया जाता है।

Scanned with OKEN Scanner

आदेश

तनकीवार निर्णय अुनसार वाद वादी स्वीकार किया जाता है।

तहसीलदार दूनी को आदेशित किया जाता है कि वाके ग्राम सरोली तहसील दूनी के राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी सम्वत 2074–77 के ख. नं. 1615/1248 रकबा 0.79 है0 व ख. नं. 1248 रकबा 0.57 है0 की तरमीम राजस्व शीट में तहसीलदार दूनी द्वारा प्रेषित रिपोर्ट/प्रस्ताव कमांक भू.अ./2024/2811 दिनांक 24.06.24 में संलग्न नक्शा ट्रेस के अनुसार दुरूस्त कर करे। तदनुरूप मौके पर वादीगण व प्रतिवादीगण की उपस्थिति में सीमाज्ञान करे, वादीगण व प्रतिवादीगण के लिए सीमाचिन्ह निर्धारित करे। प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे स्वयं, जरिये एजेन्ट, नोकर चाकर के वादी की खातेदारी भूमि के कब्जेकाश्त में मजामहत उत्पन्न नहीं करे। तदनुसार डिकी पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय सरे इजलास दिनांक 28.06.2024 को सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
देवली

Scanned with OKEN Scanner

डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ 20 रूल्स 6व 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालत उपखण्ड अधिकारी.....मुकाम देवली
व अलजाम श्री दुर्गा प्रसाद मीना आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी देवली टोक.....
उनवानी दावा :
उनवानी दावा :

शिव पब्लिक शिक्षा समिति, सरोली मोड़, जरिये सचिव शिवजीलाल चौधरी पुत्र हीरालाल चौधारी जाति जाट निवासी तरोती तहसील दूनी जिला टोंक राज.।

–वादी–

बनाम

1. गोपाल पुत्र उददा जाति गुर्जर निवासी सरोली तहसील दूनी
2. रामलाल पुत्र उददा जाति गुर्जर निवाती सरोली तहसील दूनी
3. श्योनारायण पुत्र उददा जाति गुर्जर निवासी सरोली तह. दूनी
4. मोहिनी पुत्री उददा जाति गुर्जर निवासी सरोली तहसील दूनी
5. तहसीलदार जी दूनी

–प्रतिवादीगण–

दावा बाबत दुरूस्ती इन्द्राज नक्शा ट्रेस एवं स्थायी निषेधाज्ञा

मुकदमा नं. 103 सन् 2022

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू..मुझ श्री दुर्गा प्रसाद मीना आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी देवली बहाजरी श्री श्री अशोक कुमार गुप्ता अधिवक्ता वादीगण मिनजामिन मुददई रूबरू श्री महावीर सिंह रोठोड़ अधिवकतां प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 मिनजामिन मुददायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है डिक्री दी जाती है कि

आदेश

तहसीलदार दूनी को आदेशित किया जाता है कि वाके ग्राम सरोली तहसील दूनी के राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी सम्वत 2074–77 के ख. नं. 1615/1248 रकबा 0.79 है0 व ख. नं. 1248 रकबा 0.57 है0 की तरमीम राजस्व शीट में तहसीलदार दूनी द्वारा प्रेषित रिपोर्ट/प्रस्ताव कमांक भू.अ./2024/2811 दिनांक 24.06.24 में संलग्न नक्शा ट्रेस के अनुसार दुरूस्त कर करे। तद्नुरूप मौके पर वादीगण व प्रतिवादीगण की उपस्थिति में सीमाज्ञान करे, वादीगण व प्रतिवादीगण के लिए सीमाचिन्ह निर्धारित करे। प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे स्वयं, जरिये एजेन्ट, नोकर चाकर के वादी की खातेदारी भूमि के कब्जेकाश्त में मजामहत उत्पन्न नहीं करे। निजी.....मुवलिक. .....बाबत् .....खर्चा इस मुकदमें का मय सूद वगैरह ..... फीसदी सालना आज की तारीख वसूलियाकि तक ..... की अदा करें। बसख्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज तारीख 28 माह 06 सन् 2024 को जारी किया गया।

दस्तख्त .....
ओहदा उपखण्ड अधिकारी

मुहर

मुददई	रू.	पै.	मुददायलह	रू.	पै.

वाद 103/2022 उनवान शिव पब्लिक शिक्षा समिति बनाम गोपाल वगै.
दिनांक 28.06.2024

11

स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प अदालत नामा			स्टाम्प अदालत		
स्टाम्प वजह सबूत			मेहनतान वकील		
मेहनतान वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत् इजरायहुक्मनामा		
बाबत् इजरायहुक्मनामा			अन्य मिजान		
अन्य					
मिजान					

नोट :– इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा पर दी फरीकेन का चाहे डिक्री के जरिये दिलाया हो या नही दर्ज करना चाहिए

उपजिला अधिकारी
देवली (टोंक)